

+

पञ्जाबी काउन्सिल/प्राची  
अध्यक्ष/अध्यक्ष  
के तहत सभी प्राप्ति शामिल  
करके किया गया। काउन्सिल  
क्या है हेतु दिनांक 16-11-22  
को देखा है।

Wb.

पञ्जाबी काउन्सिल/प्राची/वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय समग्र में  
रुक रुक कर कार्रवाई का कार्य  
जमायायी था। ना तो प्राची वकील  
और ना ही रजिस्ट्रार उपास्थित हुये।  
अतः पञ्जाबी सिविल प्रोसेच्यूर  
सॉडिन के आदेश 9 नियम 3 (बिना  
पैरवी कादम हाजरी) के तहत रजिस्ट्रार  
की जाती है। पञ्जाबी फैसल नम्बर  
ही नम्बर से कम की जाकर दोस्त  
दफ्तर है।

Wb.

